दिनांक17मार्च2020

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

कुर्की की कार्रवाई से बचने बकायादारो ने जमा की राशि, जोन 03 के 6 बड़े बकायादारों के यहां पहुंची थी कुर्की करने निगम की टीम

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत लंबे समय टैक्स नहीं देने वाले बकायादारों के यहां कुर्की की कार्यवाही करने निगम का अमला जोन क्रमांक 03 क्षेत्र में पहुंची। जहां लिंक रोड पावरहाउस के सर्कुलर मार्केट के बकायादारों संसार सिंह, लुनी देवी, योगेश वाजपेई, अरविंद चौरे व प्रभुदयाल चौरे ने कुर्की की कार्यवाही से बचने मौके पर बकाया राशि मे से राशि जमा कर दिए कुछ लोगों ने आधी राशि जमा की और शेष राशि जमा करने मोहलत की मांग करते हुए लिखित में दिया। निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत स्थित भवन/ भू स्वामियों पर बकाया राशि की वसूली के लिए नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 175 के अधीन कुर्की वारंट जारी किए गए हैं इन्हें पहले 173 एवं 174 के तहत नोटिस भी दिया जा चुका है तथा कई बार राशि वसूली के लिए संपर्क भी किया गया फिर भी बकाया कर जमा नहीं किया गया जिस पर निगम ने कुर्की करने का सख्त निर्णय लिया। कुर्की वसूली के लिए निगम के कुर्की अधिकारी एवं कुर्की दल आज लिंक रोड, पाॅवरहाउस सर्कुलर मार्केट में पहुंचे! बकायादार संसार सिंह से निगम के कुर्की दल के अधिकारियों द्वारा कहा गया कि बकाया राशि को जमा नहीं करने के कारण दुकान को सील की जाएगी तब बकायादार ने चेक के माध्यम से राशि जमा की। इसके बाद निगम के कुर्की दल के अधिकारी विजय काम्प्लेक्स स्थित शांति फ्रुट के यहां पहुंचे जिनसे 426524 राशि का चेक लिया गया तथा शेष बकाया राशि को मार्च महीने के भीतर जमा करने लिखित में आवेदन लिए। लूनी देवी लिंक रोड के यहां कुर्की दल ने बकाया राशि मे से 56593 रूपए लिया गया। निगम की कुर्की दल लिंक रोड स्थित योगेश बाजपेई के यहां पहुंची तो बकायादार ने कुर्की से बचने 110000 राशि का चेक मौके पर दिए। सर्कुलर मार्केट के शाॅप नं. 21 एवं 22 के संचालक अरविंद चौरे के यहां पहुंचने पर बकाया राशि मे से 35000 राशि प्राप्त हुआ।

जनसम्पर्क अधिकारी